छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक 21/6

क्रमांक एफ–20–95/04/11/6 राज्य शासन एतद् द्वारा 1 **नवंबर 2004** से प्रभावी **"छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004"** निम्नानुसार लागू करता है ।

1– **परिचय :–**

राज्य में औद्योगीकरण को गति प्रदान कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास एवं अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग एवं कमजोर वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2004–09 में पूर्व परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के क्षेत्र का विस्तार किया गया है व इसे " **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान** " का नाम दिया गया है ।

2– **नियम :–**

ये नियम " **छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004**" कहे जावेगें ।

3– **प्रभावी दिनांक:–**

ये नियम दिनांक **1.11.2004** से प्रभावी माने जावेंगे ।

4– **परिभाषाऐं :–**

1– इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, सामान्य उद्योग,विशेष थ्रस्ट उद्योग, अपात्र उद्योग, अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी" तथा "राज्य के मूल निवासी" की वही परिभाषाएं होंगी जो " **छत्तीसगढ राज्य अघोसंरचना– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004**" में दी गई है।

2– **परियोजना प्रतिवेदन–**

परियोजना प्रतिवेदन से अभिप्रेत उद्योग या क्षेत्र विशेष से संबधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें संसाधनों, बाजार सर्वेक्षण, तकनीकी/आर्थिक वायबिलिटी /लोकेशन सर्वे/ उत्पादन प्रक्रियाओं का चयन आदि का समावेश हो –

5– **पात्रता :–**

(1)– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के निवेशकों को सम्पूर्ण राज्य में और सामान्य वर्ग /अनिवासी भारतीय तथा शत–प्रतिशत एफडीआई वाले निवेशकों को अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, "उपाबंध–5" में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर, शेष समस्त नवीन औधोगिक इकाईयों की स्थापना पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता उद्योग स्थापना उपरांत होगी ।

(2)– औधोगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा । निर्धारित कालावधि के पश्चात किये गये आवेदनों पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(3)– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था / बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(4)– उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5)– उद्योग स्थापित होने के उपरांत ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

(6)– राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवहलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(7)– अन्य स्त्रोतों से अनुदान प्राप्त किये जाने पर इस अधिसूचना के अधीन पात्रता नहीं होगी ।

(8)– जिन औद्योगिक इकाईयों ने औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा / अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–7 दिनांक 7.6.2003 के अनुसार पात्र होने पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(9)– अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशेष प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1.4.2003 को /के पश्चात पंजीकृत लघु उद्योग/आई0ई0एम0 प्राप्त उद्योग जिन्होने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(10)– "उपांबंध 5" मे दर्शाए गये उद्योगों को पात्रता तभी होगी यदि औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में औद्योगिक इकाईयों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित "प्रभावी कदम" उठा लिये हों तथा अपना उद्योग दिनांक 1.11.2004 को/के पश्चात उद्योग स्थापित कर लिया हो साथ ही अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–7 दिनांक 7.6.2003 के अनुसार पात्र भी हो।

6– <u>परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एजेन्सी :–</u>

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य शासन वाणिज्य व उद्योग विभाग / छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कापोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त "प्रोजेक्ट कनसल्टेंटस" की सूची संधारित की जावेगी, जिसमें ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट भी सम्मिलित होंगे ।

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त कंसल्टेंट/ ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर कीं वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाना, परियोजना पर ऋण उपलब्ध हो जाने की गारंटी नही है तथा ऋण न मिलने पर राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 पर किसी प्रकार का दावा नही किया जा सकेगा ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय होगी ।

7– **प्रकिया व अधिकार :–**

7.1 औधोगिक इकाईयों को "उपाबंध 1" अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध 6" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैघ प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैघ स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(3) "उपाबंध–3" में निर्धारित प्रारूप पर चाटर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सबंधित प्रमाण पत्र

(4) मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कन्सलटेंट से परियोजना प्रतिवेदन देयक व भुगतान प्राप्ति की रसीद ।

(5) परियोजना प्रतिवेदन की प्रति

7.2 अनुदान सबंधी आवेदन औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.3 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 2" के अनुसार स्वत्व का परीक्षण कराकर स्वत्व के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध 4" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

लघु उद्योगों से भिन्न शेष औद्योगिक इकाइयों के प्रकरणों में महाप्रबंधक द्वारा अपने अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर निर्णय अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा लिया जायेगा ।

स्वत्वों का निराकरण सक्षम अधिकारी को पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवसों में किया जावेगा ।

7.4 बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के कम में किया जावेगा ।

7.5 बजट आंवटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

8– **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की दर व मात्राः–**

क्षेत्र	दर
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	परियोजना लागत का 1 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 1 लाख
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने हेतु कंसल्टेंट को किये गये भुगतान का 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 2 लाख

9– **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली :–**

(1)– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त मय ब्याज, वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी । ब्याज की दर, वसूली आदेश पारित करने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली होने तक ब्याज देय होगा ।

(2)– अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भविष्य में नियमानुसार नही पाये जाने पर अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें।

(3)– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

10– **अपील / वाद :–**

1– महाप्रबंधक द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध उद्योग आयुक्त को आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब और अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा। अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

2– नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

11– **स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगें जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12– **कार्यकारी निर्देश :–**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

13– **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

इस अधिसूचना हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यूओ. नोट कमांक 8२4 दिनांक 27.05.2005 द्वारा स्वीकृति दी गयी है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अनूप श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर

उपाबंध–1

(नियम 7.1)

(छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम–2004 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– स्वामित्व का स्वरूप–

3– फैक्ट्री स्थल –

स्थान

विकास खंड

जिला

4– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक

5– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक

6– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में)

7– परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी–

अ– मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा मान्यता कमांक – जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है

ब– कंसलटेंट को भुगतान की गयी राशि

स– क्लेम राशि

द– कंसल्टेंट द्वारा दर्शाई गई परियोजना लागत

8– रोजगार

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			

स्थान :

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

//घोषणा–पत्र//

मै.................................... आत्मज................................... प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई.. जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................ है निम्नानुसार घोषणा करता हूं

1– उपरोक्त पंजीकरण /प्रमाण पत्र के द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग हेतु मैंने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डंस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो द्वारा मान्यता प्राप्त कंसलटेंट .... से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया है व इसका रूपये ....(अक्षरों में) रू.. .... का भुगतान किया गया है ।

2– मैंने उपरोक्तानुसार स्थापित उद्योग हेतु भारत शासन/ राज्य शासन के किन्हीं विभागों /वित्तीय संस्थाओं से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है व न ही आवेदन दिया है । भविष्य में यदि आवेदन दिया जाता है अथवा अनुदान की राशि प्राप्त होती है तो इसकी जानकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दी जावेगी।

3– उपरोक्त जानकारी गलत होने /तथ्यों को छुपाया पाये जाने /जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/ अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा यदि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि की वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापिस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांकः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

"उपाबंध 2"
(नियम 7.3)
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता
2– स्वामित्व का स्वरूप–
3– फैक्ट्री स्थल –
स्थान
विकास खंड
जिला
4– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक
5– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक
6– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में)
7– परियोजना प्रतिवेदन संबंधी व्यय–
अ– मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा मान्यता कमांक – जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है
ब– कंसलटेंट को भुगतान की गयी राशि
स– क्लेम राशि
द– कंसल्टेंट द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाई गई परियोजना लागत
8– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है
9– रोजगार संबंधी टीप

क्र0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग–					

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc

3— औद्योगिक इकाई द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में हुये .... व्यय राशि में ....रू. मान्य है व अमान्य की गई राशि रू0......................है जिसके कारण निम्नानुसार है :—

1—

2—

3—

4—

4— अभिमत /अनुदान राशि की अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर
नाम
पद

स्थान :
दिनांकः

प्रा

उपाबंध–3
(नियम 7.1 (3)
(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है फैक्ट्री................में स्थित है व जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पाद प्रमाण पत्र कमांक................. है, ने परियोजना प्रतिवेदन, कन्सलटेन्ट...से तैय करवाया है जिस पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक..........................तक किया गया व्यय रूपये.... ....(अक्षरों में)........................... निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है

क0	विवरण परियोजना प्रतिवेदन का प्रकार एवं तैयार करने पर किये गये व्यय का विवरण	प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता जिसने परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया	प्रतिवेदन तैयार कराने पर हुए व्यय की राशि	वस्तविक भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	योग			

स्थान
दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील

हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc

प्रारूप

उपाबंध–4

(नियम 7.3)

छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति आदेश

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक   दिनांक   द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004** के नियम **कमांक "7.3"** में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन/ विस्तार) :

3– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6– परियोजना प्रतिवेदन पर किया गया अनुमोदित व्यय–

7– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8– यह राशि वित्तीय वर्ष–   के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80) –सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना (सामान्य)
711– औद्योगिक तथा परियोजना सर्वेक्षणों की योजना
13– आर्थिक सहायता
001 प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

महाप्रबंधक/ अपर संचालक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़

"उपाबंध–5"
(नियम 5 (1)
(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना

(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रकिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,

(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)

(7) हालर मिल

(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना

(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)

(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीकाफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)

(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रकिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)

(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)

(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण

(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल

(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण

(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)

(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क

(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना

(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण

(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स

(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(24) फोटो लेबोरिटीज

(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(26) सभी प्रकार के कूलर

(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग

(28) रबर स्टाम्प बनाना

(29) बारदाना मरम्मत

(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)

(31) लेदर टेनरी

(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)

(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

"उपाबंध–6"

(नियम 7.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला..................................

मेसर्स .... पता.. .... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004 .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत प्रतिनिधि

सील

प्रति,

मेसर्स..

....

....

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc